

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोडाहाट, चक्रधरपुर।


टी०ए० मिस केस सं०-25/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश कार्रवाई तिथि
20.9.17	<p>आवेदक श्री/श्रीमती लेंगा गागराई पिता/पति स्व० बोंगो गागराई, ग्राम - कोलचकरा, पोस्ट - चक्रधरपुर, थाना - चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा - नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं०-05, थाना नं०-68, खाता नं०- 128, प्लॉट नं०- 26, रकवा- 0.05ए०, क्रेता श्री/श्रीमती - सुशीला जांको, पति-श्री पशुपति हेम्ब्रम, ग्राम -भुजुसाई (टोकलो), पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना - चक्रधरपुर,, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका - लेंगा गागराई, पिता- स्व० बोंगो गागराई, के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 7,50,000/- (सात लाख पच्चास हजार) रुपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में राधा हो, पिता-गंगा हो, एक अंश वो मछुवा हो, वो लेंगा हो, पिता-लेबेया हो के नाम पर दर्ज एक अंश समान दर्ज है इत्यादि के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध - दादा-पौत्र का है। जमाबन्दी पंजी ॥ में खतियानी रैयत लेंगा गागराई, पिता- स्व० बोंगो गागराई, के नाम लगान कायम है। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना- चक्रधरपुर के निवासी है तथा "हो" (अ०ज०जाति०) समुदाय के सदस्य है।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा - 0.05ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 619 (बी०), दिनांक 20.07.2017 द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती - सुशीला जांको, पति-श्री पशुपति हेम्ब्रम, ग्राम -भुजुसाई (टोकलो) पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर , जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की - स्वीकृति दी जाती है।</p>	

लेखापित

 20.9.17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 पोडाहाट, चक्रधरपुर


 20.9.17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 पोडाहाट, चक्रधरपुर